तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	15/7/18 बुलाये कंट्रोकेन उप०/P.O. गवाह ... 1 तावली दिनांक 15/7/18 को पेश हो।
	15/7/18 बुलाये कंट्रोकेन उप०/P.O. गवाह ... 1 तावली दिनांक 17/4/18 को पेश हो।
17/4/18	उपखण्ड अधिकारी ... दिनांक ... की पालना में पत्रावली वापस ... दिनांक 18.6.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (बाड़मेर)
18.6.18	पत्रावली कैम कोर्ट में पेश हुई। बंदुलाल पक्षकार उपस्थित। बंदुलाल को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण हदबन्दी केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बना प्रतीत होता है अतः प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तकसिम दिनांक 17/8/17 के बाद अस्थाई निषेधाज्ञा की तामील का स्थाई (Confirm) किया जाता है अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वो तकसिम वाला अराजी खसरा नं. 11/245 वाले ग्राम दुधारी तहसील मे० प्रार्थी के हिस्से में मजाहमत आदि नहीं करे। पत्रावली केस्ल शुमार होकर सिविल रे कर दी जावे। सुनाया।

Scanned by CamScanner